


कार्यालय मुख्य अभियन्ता (पथ-प्रथम), सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.45/पीएण्डएम-II/परिपत्र/07/ 54

दिनांक 5/5/2007


परिपत्र-3 (2007-08)

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नवीन सडक निर्माण कार्यों में डामर के साथ-साथ ग्रेवल शोल्डर्स का निर्माण कराया जाता है। इसी प्रकार सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य में भी यथासंभव स्वीकृति को मध्य नजर रखते हुए ग्रेवल या मिट्टी के शोल्डर्स पुनः निर्मित किये जावे। यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में किये जाने वाले नव-निर्माण एवं नवीनीकरण के कार्यों में ग्रेवल शोल्डर्स का प्रावधान किया जावे, ताकि सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम की जा सके। यदि पूर्व में नवीनीकृत सडक पर किसी कारणवश यदि शोल्डर्स नहीं बनाये गये हो तो एन०आर०ई०जी०एस०/अकाल राहत में उक्त सडक पर शोल्डर्स का निर्माण प्रस्तावित कर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।


मुख्य अभियन्ता (पथ प्रथम)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. अति० मुख्य अभियन्ता, सा०नि०वि० जोन. (समस्त)
2. अधीक्षण अभियन्ता, सा०नि०वि० वृत (समस्त)
3. अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि.वि. खण्ड (समस्त)


मुख्य अभियन्ता (पथ प्रथम)